तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए
27/3/19	वकील फरीकैन उप०। एप्लीकेशन वकील की नकलें दिलाई गई। पत्रावली पुकरुबला (?) जवाब व दि० 3/5/19 को पेश हो।	
3/5/19	वकील फरीकैन उप०। अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से जवाब पेश किया जिसकी नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15/5/19 को पेश हो।	
15/5/19	वकील फरीकैन उप०। बहस उभय पक्षों के अधिवक्तागण की सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/5/19 को पेश हो।	
28/5/19	वकील फरीकैन उप०। प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दफ्तर रहे।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
22 / 18	अस्थायी निषेधाज्ञा	25.07.18	29.05.19

1. श्रीपत 2. होरीलाल 3. उम्मेद 4. विजय पुत्रान रामहेत 5. कम्पूरी पत्नि स्व0 रामहेत 6. सोमोती 7. लोडो 8. लखनबाई पुत्रीयान रामहेत समस्त जातियान बैरवा निवासीयान नानपुर सब तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. हरेत । जाति बैरवा निवासी नानपुर सब तहसील
2. प्रभू । पिसरान नन्दू करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
3. अंगूरी पत्नि श्रीफूल बैरवा निवासी डोंगरी (डाबर) तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली।
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा करणपुर जरिये प्रबन्धक बी.ओ.बी. करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री नेमीचन्द गुप्ता वकील प्रार्थीगण।
श्री कमरपाल मीना वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि आराजी खसरा नं0 30 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 101 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 102 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 106 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 107 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 140/2 रकबा 2 बीघा कुल किता 06 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम नानपुर सब तहसील करणपुर तहसील सपोटरा मे स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है, अप्रार्थी सं0 2 का 1/3 हिस्सा है, अप्रार्थी सं0 1 का आराजी खसरा नं0 106, 107 मे 1/3 हिस्सा है तथा अप्रार्थी सं0 3 का आराजी खसरा नं0 30, 101, 102, 104/2 मे 1/3 हिस्सा है। इसी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 3 संयुक्त रूप से काविज काश्त बतौर खातेदार है। उक्त आराजीयात का आज तक बंटवारा नही हुआ है संयुक्त रूप से काश्त हो रही है। परन्तु अब प्रार्थीगण का विवादित भूमि को अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के साथ संयुक्त काश्त करना सम्भव नही रखा है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ताकतवर व पैसे वाले व्यक्ति है और प्रार्थीगण के संयुक्त काश्त मे व्यवधान करते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 17.07.2018 को अप्रार्थी सं0 1 ता 3 से प्रार्थीगण के हिस्से 1/3 हिस्सा का बंटवारा कराने की कहा तो साफ इंकार हो गये और विवादित आराजीयात मे से जो आराजी आबादी व रास्तों के नजदीक है मे से भूखण्ड काटकर विक्रय कर प्रार्थीगण को 1/3 हिस्सा भूमि से जबरन बेदखल करने एवं संयुक्त काश्त मे व्यवधान करने की एलानिया कहा है व धमकी दी है इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 5 बावजूद तामील नोटिस उपस्थित न्यायालय नही आये है इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 4 का प्रकरण मे राज्य हित निहित नही होने के कारण जवाब अपेक्षित नही है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने उपस्थित

Scanned by CamScanner

न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने मौके पर विवादित आराजीयात का बाहमी बंटवारा अनुसार फसल काश्त का लाभ लेते चले आ रहे है तथा हम अप्रार्थीगण खातेदार है इसलिए पाबंद किया जाना गलत है, अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम नानपुर तहसील सपोटरा सम्बत् 2071–74 के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 3 उक्त आराजीयात के रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। सहखातेदारी की आराजीयात पर प्रत्येंक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो के पक्ष मे आंशिक साबित है। प्रार्थीगण तथ्यों एवं अप्रार्थीगण के अभिकथन को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो के पक्ष मे आंशिक रूप से साबित है। इसलिए वाद पत्र के निर्णय तक प्राथीगण एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 3 को ताफैसला दावा ज़रिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम नानपुर तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 30, 101, 102, 106, 107, 140/2 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बिस्वा के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner